सतर्क राजस्थान

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/चिकित्सा/2020/22760 दिनांक 22 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिनांक 20/03/2020 से निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन हैं।

कोरोना वॉयरस संक्रमण के दृष्टिगत भीलवाड़ा जिले की सीमाएं सील होकर विभिन्न रास्तो पर चेक पोस्ट स्थापित की गयीं हैं। विशेष परिस्थितियो में उपखण्ड मजिस्ट्रेट/जिला प्रशासन की स्वीकृति एवं कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्ति उपरान्त ही चेक पोस्ट से आवागमन की अनुमति दी गयीं हैं।

यह संज्ञान में आया हैं कि जिले में स्थापित चेक पोस्ट पर बिना अनुमति एवं कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही आवागमन हो रहा हैं। इस प्रकार का आवागमन विशेषकर अर्द्धरात्रि के पश्चात हो रहा हैं तथा एक व्यक्ति के पास पर अधिक व्यक्ति आवागमन कर रहे हैं तथा पास की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी पास का दुरूपयोग किया जा रहा हैं।

अतः जिले की सीमाओ पर स्थापित समस्त चेक पोस्टो पर सी0सी0 टीवी कैमरा इंस्टॉल करवाया जाकर सी0सी0 टीवी कैमरो का प्रसारण निम्न अधिकारियो के कक्ष में पर्यवेक्षण एवं नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने हेतु किया जावे –

क्र0सं0	नाम अधिकारी जिनके कार्यालय द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना हैं
1.	**संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिला भीलवाड़ा**
2.	**संबंधित पुलिस उप अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा**
3.	**संबंधित थानाधिकारी, जिला भीलवाड़ा**
4.	**जिला कार्यालय भीलवाड़ा**
5.	**पुलिस कन्ट्रोल रूम जिला मुख्यालय भीलवाड़ा**

उक्तानुसार सी0सी0 टीवी कैमरो के इंस्टॉलेशन का भुगतान शहरी क्षेत्र में नगर परिषद एवं संबंधित नगर पालिका द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पंचायत समिति द्वारा किया जावेगा।

आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
11. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
13. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. समस्त पुलिस उप अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
16. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
17. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
18. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा
19. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
20. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
21. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
22. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
23. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
24. समस्त थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन, जिला भीलवाड़ा
25. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

s@nv@n 75 97979 3939